(2)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या—31 / 2015—16

फूल कुँवर देवी वगैरह बनाम जितेन्द्र कुमार

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

17/3/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल—खारिज अपील वाद सं0 24 / 2014—15, में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 25.04.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

निम्न न्यायालय में (1) श्रीमती रीता देवी, पति दुर्गा प्रसाद सिंह (2) श्रीमती फूल कुँवर देवी, पति मोती सिंह (3) श्रीमती विन्दा देवी, पति स्व0 चन्देश्वर महतो (4) श्री विवेकानंद प्रसाद, पिता नागेश्वर प्रसाद एवं (5) श्रीमती आशा देवी, पति मथेश पासवान के द्वारा जितेन्द्र कुमार, पिता शिव बालक सिंह के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया था।

अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में (1) श्रीमती फुल कुँवर देवी, पति श्री मोती सिंह (2) श्री विवेकानंद प्रसाद, पिता नागेश्वर प्रसाद (3) प्रमिला कुमारी, पति नरेश कुमार के द्वारा जितेन्द्र कुमार, पिता शिव बालक सिंह के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी को नोटिस भेजी गयी, जो बिना तामिला के वापस हो गयी।

इस वाद के आवेदकगण के द्वारा दिनांक 30.08.2017 से इस वाद में पैरवी करना छोड़ दिया गया। दिनांक 23.01.2018 को आवेदकगण को अंतिम मौका दिये जाने के बावजूद आज आवेदकगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। स्पष्ट है कि आवेदकगण को इस वाद के संचालन में कोई अभिरूचि नहीं है।

आवेदकगण के पुनरीक्षण आवेदन तथा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 24 / 2014—15 में दिनांक 25.04.2015 को पारित आदेश का अवलोकन किया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के आदेश से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड को लेकर आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना के न्यायालय में भूमि विवाद वाद सं0 132 / 2012—13 दायर किया गया था। जिसे स्वत्व का मामला बताते हुए, न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.08.2013 के आदेश से खारिज कर दिया गया था।

आवेदकगण के द्वारा विवादित भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय, पटना में स्वत्व वाद सं0 5532 / 2014 दायर किया गया, जो अभी लम्बित है।

आवेदकगण के द्वारा इन तथ्यों को छुपाते हुए, विवादित भूखण्ड के

दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{2315}{4}$ वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत आवेदकगण का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{2315}{4}$ वर्ष 2013-14 में अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दिनांक 31.05.2014 को पारित आदेश को विधि सम्मत पाते हुए, अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

मैं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के निर्णय से सहमत हूँ। दाखिल खारिज अपील वाद सं0 24/2014-15 में दिनांक 25.04.2015 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

17/3/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

17/3/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना